भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1938**

जिसका उत्तर मंगलवार, 18 मार्च, 2025/27 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है।

आयातित उर्वरकों की लागत में वृद्धि

1938. श्री नीरज डांगी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक उर्वरक कीमतों में वृद्धि के कारण वर्तमान में देश में आयातित उर्वरकों की लागत बढ़ गई है; यदि हां, तो उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान उर्वरक राजसहायता पर किया गया व्यय और वर्तमान वर्ष में अपेक्षित व्यय कितना-कितना है;
(ग) वैश्विक अस्थिरता के बीच उत्पादन बढ़ाने तथा वहनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) स्वदेशी उर्वरक उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में विफलता के क्या कारण हैं; और
(ड.) सरकार द्वारा उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई नीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत, वर्तमान में यूरिया किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा बोरी की एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार,देश में सभी किसानों को यूरिया की आपूर्ति सब्सिडी प्राप्त दरों पर की जा रही है और इस तरह इस योजना के लाभार्थी हैं।

फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने दिनांक 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी(एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत, किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए उत्पादकों/आयातकों को सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनके पोषकतत्वों अर्थात नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटेशियम (के) और सल्फर (एस) की मात्रा के अनुसार वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत

राशि प्रदान की जाती है। एनबीएस स्कीम के अंतर्गत पीएण्डके क्षेत्र विनियंत्रित है, उर्वरक कंपनियों को तर्कसंगत स्तरों पर एमआरपी नियत करने की अनुमति दी जाती है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। उर्वरक कंपनियां अपने कारोबार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरक कच्ची सामग्री, मध्यवर्तियों और तैयार उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रमुख उर्वरकों और कच्ची सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मूल्य अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पीएण्डके उर्वरकों के लिए वार्षिक /द्विवार्षिक रूप से एनबीएस दरें नियत करते समय उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, को शामिल कर दिया है। रबी 2024-25 में प्रमुख आयातित पीएण्डके उर्वरकों और उर्वरक सब्सिडी की औसत एमआरपी के ब्यौरे **अनुलग्नक 'क'** में दिए गए हैं।

(ख): वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सब्सिडी का संशोधित अनुमान 1,74,663 करोड़ रुपये है, जिस पर सरकार द्वारा दिनांक 10.03.2025 तक 1,70,034.59 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

(ग) और (ड.): देश में यूरिया का कुल स्वदेशी उत्पादन यूरिया की मांग/आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। अत: उर्वरकों की मांग/आवश्यकता और उत्पादन के बीच अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान की 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (आरएसी) बढ़कर वर्ष 2023-24 में 283.74 एलएमटीपीए हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ाकर अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

इन उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी रिकार्ड यूरिया उत्पादन हो गया है जिसमें आरएसी के अलावा लगभग 42 एलएमटी का उत्पादन भी शामिल है।

फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों (पीएंडके) के संबंध में, कंपनियां अपने कारोबार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरक कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्तियों और तैयार उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुरोधों के आधार पर, उत्पादन को बढ़ावा देने और उर्वरक उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को मान्यता दी गई है/रिकॉर्ड में लिया गया है। इसके अतिरिक्त शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम), जो 100% स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, को दिनांक 13.10.2021 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) प्रणाली के तहत अधिसूचित किया गया है। साथ ही, मृदा को फॉस्फेटयुक्त अथवा ''पी'' पोषकतत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करने हेतु एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, पर खरीफ 2022 से मालभाड़ा सब्सिडी लागू की गई है। इन उपायों से पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन में वर्ष 2014-15 के दौरान 159.54 एलएमटी से वर्ष 2023-24 में 182.85 एलएमटी तक की वृद्धि हुई है।

देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है। देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम के लिए किए जाने वाले आयात को भी पहले से ही तय कर दिया जाता है।

(घ): उर्वरकों के उत्पादन में कमी के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। यूरिया उत्पादन के लिए, प्रमुख कारणों में वार्षिक रखरखाव और टर्नअराउंड कार्यों के लिए संयंत्र बंद होना, कच्चे माल और फीडस्टॉक की कमी, अमोनिया संयंत्र बंद होने के कारण कार्बन डाई-ऑक्साइड की कमी, रेक की अनुपलब्धता और साइलो स्पेस सीमाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा-बचत स्कीमों को लागू करने के लिए संयंत्र के शटडाउन और बहुस्तरीय यूरिया रिएक्टर के बाहरी शेल कोर्स की विफलता, और सिंथेटिक गैस बॉयलर की प्रक्रिया गैस आउटलेट लाइन को बीएफडब्ल्यू प्रीहीटर से हॉट एक्सचेंजर तक शियरिंग- आफ करना जैसे मुद्दों ने कम उत्पादन में योगदान दिया है। अन्य कारकों में उच्च स्टॉक के कारण कम भार के तहत प्रचालनरत संयंत्र, गैस आपूर्ति में रुकावटें, हाई जर्नल बियरिंग तापमान के कारण अमोनिया संयंत्रों का कम लोड प्रचालन, अनुमोदित वार्षिक क्षमता के अनुरूप संयंत्र भार अनुकूलन, और कच्चे माल की बढ़ती लागत शामिल हैं।

डीएपी और मिश्रित उर्वरकों के कम उत्पादन के लिए, कई कारक भी उत्तरदायी हैं। विपणन बाधाएं, तैयार माल का अत्यधिक स्टॉक और पर्याप्त जनशक्ति की कमी ऐसे कारक हैं जिसके कारण कमी हुई है। इसके अतिरिक्त, नियमित रखरखाव कार्य, वार्षिक टर्नअराउंड और कच्चे माल की कमी ने उत्पादन स्तर को कम करने में योगदान दिया है। साइलो स्पेस की सीमाएं, कच्चे माल की उच्च लागत और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने उत्पादन क्षमता को और प्रभावित किया है।

*****

अनुलग्नक 'क'

यह अनुलग्नक 18.03.2025 को दिए जाने वाले राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं.1938 के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

रबी 2024-25 में प्रमुख आयातित पीएण्डके उर्वरकों और उर्वरक सब्सिडी की औसत एमआरपी का विवरण (रुपये प्रति मीट्रिक टन में)				
आयातित उर्वरक ग्रेड	**2023-24**	**2024-25 (आज की तिथि तक)**	**खरीफ 2024 में सब्सिडी (01.04.2024-30.09.2024)**	**रबी 2024-25 में सब्सिडी (01.10.2024-31.03.2025)**
आयातित डीएपी	27000.00	27000.00	21676.00	21911.00
आयातित एमओपी	33987.89	31151.18	1427.00	1427.00
आयातित 20-20-0-13	25982.84	25207.81	15395.00	14993.00
आयातित 12-32-16	30688.98	29677.13	15214.00	15399.00
आयातित 10-26-26	29339.92	30164.45	12788.00	12928.00

****